FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
1/1/2021	वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्व अवलोकन किया गया। प्रार्थी को कथन है कि ग्राम करनीयाली पटवार क्षेत्र करनीयाली तहसील लूणी के खसरा न 228/1 रकबा 20 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसे वादीगण ने तीन अलग-अलग विक्रय पत्रो के खरीद किया है जिसके आधार पर वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है। वादीगण की खरीदसुदा भूमि खसरा न 228/1 की तरमीम हेतु निवेदन किया परन्तु हल्का पटवारी ने बिना किसी आदेश के गलत तरमीम कर दी जबकि वादीगण खसरा न 228 के उतरी पश्चिम दिशा मे नजरी नक्शे मे वर्णितानुसार काबिज है तथा तरमीम गलत स्थान पर कर दी जिसे शुद्ध किया जाकर नजरी नक्शे के अनुसार उसके कब्जे की भूमि के स्थान पर तरमीम की जावे। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रार्थीगण का कब्जा होना भी स्वीकार किया है। ऐसी परिस्थिति मे यह स्थिति प्रकट होती है कि प्रार्थीगण खसरा न 228/1 रकबा 20 बीघा भूमि पर काबिज है तथा स्वग तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे को स्वीकारा है। तथा वर्णित खसरा नम्बर 228/1 रकबा 20 बीघा प्रार्थीगणो के कय से पहले से ही तरमीम शुद्धा होना बताया गै0मु0 नदी के पास का खसरा होने से सम्भवत बजरी लीज हेतु अन्य जगह कब्जा कर तरमीम चाहना बताया। प्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार स्थान परिवर्तन चाहते है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से निरस्त किये जाने का निवेदन	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

किया। ऐसी परिस्थिति मे यह स्थिति प्रकट होती है कि पूर्व मे काबिज खातेदारान द्वारा सुपुर्द कब्जे अनुसार विक्रय दस्तावेज मे पडौस अंकित है तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम अंकित है। इसमे किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतीत नही होता है तथा किसी प्रकार से संशोधित किया जाना उचित नही समझते है। अत उक्त स्थिति मे तहसीलदार लूणी के जवाब प्रार्थना पत्र एव संलग्न दस्तावेज विक्रय विलेख तथा नक्शा ट्रेश मे तरमीम की गई है जो कि किसी प्रकार से संशोधित किया जाना उचित नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एलआरएक्ट खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

01/02/21

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner